फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती केसरबाई | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 01/21**

जीसीएमएस : 2021/28

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	

दिनांक : 05.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नम्बर 206/142 रकबा 1 बीघा जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शें के रकबे में संशोधन किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर प्रार्थीगण की आराजी के साथ साथ प्रार्थीगण की आराजी के सटमा अन्य आराजीयात के जमाबन्दी रकबे एवं नक्शे में अन्तर होना बताया गया जो निम्नानुसार है :–

क्र.स.	आराजी संख्या	नक्शाकृति रकबा बीघा	जमाबन्दी रकबा बीघा	अन्तर रकबा बिस्वा
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	140	1.15	1.17	(+) 0.02
2	142 210/142 211/142 212/142	4.00	3.13	(-) 0.07
3	206/142	1.03	1.00	(-) 0.03
4	143	3.03	4.00	(+) 0.17
5	207/143	4.00	3.04	(-) 0.16
6	122	5.09	5.13	(+) 0.04

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 206/142 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर मौके पर काबिज हैं परन्तु राजस्व नक्शें में उक्त आराजी का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा है जिसे राजस्व नक्शें में भी 1 बीघा भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर जमाबन्दी रकबे एवं नक्शें के रकबे में अन्तर होना बताया। आराजी नम्बर 206/142 का जमाबन्दी अनुसार रकबा 1 बीघा एवं नक्शें अनुसार रकबा 1.03 बीघा हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित होकर जमाबन्दी रकबा 1 बीघा के अनुसार राजस्व नक्शें में भी 1.03 बीघा के बजाय 1 बीघा तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त की। चूंकि राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के समय से चली आना बताया हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण की सहमति के आधार पर जमाबन्दी के रकबे अनुसार नक्शें के रकबे में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 206/142 जमाबन्दी अनुसार रकबा 1 बीघा भूमि को राजस्व नक्शें में जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested